कार्यालय,
प्राविधिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या-प्रा0शि0प0/परिषद सम्बद्धता/2021/3537 लखनऊ: दिनांक- 09/09/2021

कार्यालय आदेश

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु विभिन्न प्राविधिक तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता, पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता कमेटी की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2246-EMRALD-S INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, 11 KM, LUCKNOW CHINHAT-DEWA ROAD, BARABANKI

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
4	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
5	CIVIL ENGINEERING	180	180
6	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
7	P.G.DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION	60	30
8	HOME SCIENCE	60	60
9	INDUSTRIAL SAFETY	60	60

मान्यता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली, मास्टर विनियमावली-2018 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30000.00 प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू० 40000.00 प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू० 20000.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शुल्क निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा संस्थायें तथा उनसे सम्बद्ध संस्थाओं को मान्यता (प्रदान करना) विनियमावली 2002 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एआईसीटीई/पीसीआई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्था यदि पी०सी०आई०, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद पक्षकार बनाया जाता है तथा उपरोक्त वाद के संबंध में मा० न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त क्षतिपूर्ति सम्बन्धित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं, जैसे संस्था की शैक्षणिक फैकल्टी, भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण अंकित करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित सम्बन्धित पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की संस्तुति की जायेगी।
- ✓ संस्था के आकस्मिक निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य आवश्यकता एआईसीटीई/पीसीआई/प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पत्रांक- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4889 दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक: EMRALD-S INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, 11 KM, LUCKNOW CHINHAT-DEWA ROAD, BARABANKI

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971 लखनऊ: दिनांक: 16-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-02 में डिप्लोमा इन इंजी0 पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन इंजीo पाठ्यक्रम संचालित करने वाली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में एआईसीटीई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	[illegible] इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, [illegible] वाराणसी।	इलेक्ट्रिकल इंजी0 डिप्लोमा [illegible] डिप्लोमा [illegible] सिविल इंजी0 इलेक्ट्रानिक्स इंजी0 इलेक्ट्रिकल इंजी0 मैकेनिकल इंजी0 [illegible] मैकेनिकल इंजी0 [illegible] कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी0	60 60 30 120 [illegible] 60 60 120 60	60 60 30 120 [illegible] 60 60 120 60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1962, सेमेस्टर विनियमावली- 2016 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रू0 [illegible]/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- [illegible]/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0- [illegible]/- प्रतिवर्ष शुल्क की अपेक्षा छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे और तद्नुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो फीस की परिवर्तित दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं तथा उन संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली–2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय–समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0 / पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्था यदि पी0सी0आई0, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस सम्बन्ध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा वादोपरान्त के संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति सम्बंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त क्षतिपूर्ति सम्बंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की **(काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश)** अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, कक्ष–संख्या, उपकरण, प्रवेश लिये जाने वाले शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत अभिलेख एवं अभिलेख, भूमि–भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(डा0 आर0के0 सिंह)
सचिव

पृ0सं0– प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972–3141   तद्दिनांक 15–09–2020

प्रतिलिपि –प्रधानाचार्य/निदेशक, [illegible] इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, [illegible] वाराणसी।

(डा0 आर0के0 सिंह)
सचिव

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

DGT-12/1/2019-TC

STATE: Uttar Pradesh
TOTAL: 10 (New -10)

Dated: 31.07.2019

Affiliation of Trades/Units with NCVT in Spare Capacity of Polytechnic/Engineering Colleges

S. No.	Name of ITI with address	New	Trade for which affiliation sought	Unit for affiliation sought/ Recommended by: Polytechnic/ running ITI in spare capacity proposed	Accredited by Joint Inspection Committee (DGT State Director AICTE Representative)	DGT Recommendation Committee Decision	Remarks
1	Sant [illegible] Nath Institute of Engineering & Technology, [illegible]	New	Fitter	3(1+1+1)	3(1+1+1)	3(1+1+1)	w.e.f. August 2019
			Electrician	3(1+1+1)	3(1+1+1)	3(1+1+1)	
			Draughtsman Civil	1(1+0+0)	1(1+0+0)	1(1+0+0)	
			COPA	1(1+0+0)	1(1+0+0)	1(1+0+0)	
2	[illegible] Institute of Management & Technology, Vill. [illegible], Post [illegible], Block [illegible], [illegible]	New	Fitter	6(2+2+2)	6(2+2+2)	6(2+2+2)	w.e.f. August 2019. *Wireman & SSA Hindi are not recommended due to shortage of Tools & Machinery
			Electrician	6(2+2+2)	6(2+2+2)	6(2+2+2)	
			Mechanic Diesel Engine	6(2+2+2)	3(1+1+1)	3(1+1+1)	
			Draughtsman Civil	3(1+1+1)	3(1+1+1)	3(1+1+1)	
			*Wireman	3(1+1+1)	N.R.	N.R.	
			*SSA Hindi	3(1+1+1)	N.R.	N.R.	
3	LDC Institute of Technical Studies, 32 Milestone, Allahabad Pratapgarh Road, Soraon, Prayagraj [illegible]	New	Electrician	6(2+2+2)	6(2+2+2)	6(2+2+2)	w.e.f. August 2019
			Fitter	6(2+2+2)	6(2+2+2)	6(2+2+2)	
			Welder	6(2+2+2)	6(2+2+2)	6(2+2+2)	
			COPA	6(2+2+2)	6(2+2+2)	6(2+2+2)	

उत्तर प्रदेश शासन

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग

संख्या-98/2018/2636/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2018-26(टी)/2010

लखनऊ: दिनांक 25 जुलाई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के शासनादेश संख्या-71/2018/ 1486/89-व्या0शि0 एवं कौ0वि0 वि0-2018-26(टी)/2010 दिनांक 11-05-2018 द्वारा प्रदेश के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के शुल्क का नियमन एवं प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं। इस शासनादेश के प्रस्तर-4 के अन्तर्गत छात्रों से लिए जाने वाले मानक शुल्क का निर्धारण एक समिति एवं इसके अधीन गठित उप समिति के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था की गयी है। समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उ0प्र0शासन एवं अन्य सदस्य सचिव/विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन तथा निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 हैं।

2- उक्त शासनादेश के अन्तर्गत निहित व्यवस्था के क्रम में शासनादेश संख्या-1796/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0 वि0-2018-26(टी)/2010, दिनांक 24-5-2018 द्वारा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के मानक शुल्क के निर्धारण हेतु गठित उप समिति की संस्तुतियों पर विचार कर मानक शुल्क के निर्धारण हेतु समिति की बैठक दिनांक 9-7-2018 को सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

3- समिति की संस्तुति के दृष्टिगत, प्रदेश के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु रू0 18000.00 प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष आगामी 03 वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के लिए तथा नान-इन्जीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु रू0 15,400.00 प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष आगामी 03 वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया जाता है।

4- आगामी 03 वर्षों अर्थात 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 हेतु शुल्क का निर्धारण वर्ष 2021-22 में किया जायेगा।

www.shasanadeshup.nic.in

5. उक्तानुसार निर्धारित किये गये मानक प्रशिक्षण शुल्क को एस०सी०वी०टी० की वेबसाइट, प्रदेश के समाचार पत्रों तथा प्रत्येक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कराया जायेगा।

6. जिन निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रबन्धतंत्रों/प्रबन्धकों को उक्त निर्धारित मानक शुल्क स्वीकार्य नहीं है तथा वे इससे इतर प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित कराना चाहते हैं, वे इस हेतु से अपने आय-व्यय विवरण तथा बैलेंसशीट व अन्य संगत अभिलेखों के साथ मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारण हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव समिति के विचारार्थ राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, अलीगंज लखनऊ में प्रस्तुत करेंगे।

भुवनेश कुमार

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, अलीगंज, लखनऊ।

(2) अधिशासी निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०अलीगंज, लखनऊ।

(3) सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली।

(4) महानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(5) प्रधानाचार्य/प्रबन्धक समस्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक)।

(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ० संदीप परमार)

अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in